फर्द आहकाम

नन्दू देवी बनाम काली देवी वगैरह

यालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़

या 155/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अग्र प्रतिवादीगणों की उपस्थिति सम्भव नहीं। वादी कारवाई रोकी लागती पेशी पर पेश करें। पत्रावली फिलहाल कार्यवाही हेतु दिनांक 21/6/23 को पेश हो।	
28/5/23	पत्रावली में वकील वादी द्वारा निवेदन करते पर इस पत्रावली तलब की गई। वकील वादी के पत्रावली को मूल मुकदमा नं० 82/2023 उनवान केसरदेवी। नन्दू देवी के साथ एकमुश्त करने का निवेदन किया गया। पत्रावली की अवलोकन किया गया। पत्रावली में राज्य के वादिगण का किसी पर लिखा नहीं। पत्रावली केवल मुकदमा केवल नकल तक के लिए वाद सं० 82/2023 उनवान केसरदेवी बनाम नन्दू देवी के साथ एकमुश्त हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़	